



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-05.04.2025

विषय:- थाना चौबेपुर में 01 नफ़र शातिर अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा एक्ट में कार्यवाही की गई।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में दिनांक-04.04.2025 को थाना चौबेपुर में 01 नफ़र शातिर अपराधी के विरुद्ध धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1970 के अंतर्गत कार्यवाही की गयी। विवरण निम्नवत है-

1- संतोष यादव उर्फ बबलू पुत्र किशोर यादव निवासी- ग्राम सोनई बर्थरा (बर्थरा खुर्द) थाना चौबेपुर कमि0 वाराणसी, उम्र 35 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-0410/2019 धारा 147/323/504/506/427/452/354क/354-ख भा0द0वि0 थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 0119/2019 धारा 323/504/506/427/452/354-ग भा0द0वि0 थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. मु0अ0सं0-0007/2022 धारा 323/504 भा0द0वि0 थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. मु0अ0सं0-0816/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/333 बी0एन0एस0 थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।